"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 जून 2012—ज्येष्ठ 11, शक 1934

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 मई 2012

क्रमांक ई-01-02/2012/एक/2.—सुश्री शिखा राजपूत, भा.प्र.से. (2008) अपर कलेक्टर, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुन्द के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री चंद्रकांत उइके, राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुन्द को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, अपर कलेक्टर, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव में मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

ग्रामोद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2012

क्रमांक एफ 1-26/2001/(6) 52.—शासन एतद्द्वारा राज्य के कुम्हारी (पोटरी) एवं मिट्टी के कार्य करने वाले कुंभकारों/कारीगरों के व्यवसाय में वृद्धि तथा आर्थिक, तकनीकी विकास एवं विपणन आदि सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत छ.ग. माटीकला बोर्ड का गठन निम्नानुसार करता है :—

1. **बोर्ड के क्षेत्राधिकार में निम्नांकित विषय होंगे :—**

   1. कुम्हारी कार्य उद्योगों से संबंधित अधोसंरचना जैसे बिजली, पानी पहुंच मार्ग की व्यवस्था के संबंध में निरीक्षण एवं सुझाव देना.

   2. बोर्ड अपनी आवश्यकता के अनुसार छत्तीसगढ़ के अंदर एवं छत्तीसगढ़ के बाहर कहीं भी अन्य इकाईयां, कार्यालय, एम्पोरियम तथा एजेंसी नियुक्त व स्थापित कर सकेगा.

   3. माटीकला के माध्यम से कुम्भकारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, अधिकाधिक रोजगार के लिये प्रशिक्षण आदि संचालित करना.

   4. परम्परागत एवं प्रशिक्षित शिल्पियों के डिजाईन विकास अधिकाधिक उत्पादन एवं उत्पादन में ग्लेजिंग आदि की व्यवस्था के लिये तकनीकी कार्यशालाएं, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक विकासात्मक गतिविधियां जैसे नवीनतम औजार उपकरण, कर्मशाला निर्माण, ब्याज अनुदान सहायता आदि सहायता उपलब्ध कराकर कार्यवाही करना.

   5. परम्परागत एवं प्रशिक्षित शिल्पियों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टि से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार का ज्ञान कराना, प्रचार-प्रसार तथा प्रदर्शनियों का आयोजना करना.

   6. शिल्पियों को विक्रय कला में निपुण करने तथा क्रेता-विक्रेता संवाद, बाजार मांग आदि को दृष्टिगत रखते हुए आयोजित प्रदर्शनियों में बारी-बारी से कुंभकार हितग्राहियों को सम्मिलित किया जावेगा तथा बोर्ड के संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित नीति अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जावेगी.

   7. कुंभकारों के सर्वांगीण विकास के लिये नीतियां बनाना, शासन से विभिन्न योजनाएं स्वीकृत करना, बजट प्राप्त करना तथा तदनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन करना.

   8. भारत सरकार विशेषकर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार एवं खादी आयोग द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन करना.

   9. माटी कार्य कुम्हारी (पोटरी) एवं शिल्प उद्योग के लिये नीति का निर्माण करने तथा विनियोजन, अनुदान, वेट टैक्स, विद्युत दरों आदि में इस उद्योग को सुविधा न प्रदान करने पर सुझाव देना.

   10. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र से माटी कार्य करने वालों को सुविधाएं एवं सेवायें उपलब्ध कराने के संबंध में समन्वय की व्यवस्था करना.

   11. माटी का कार्य करने वाले कारीगरों एवं उद्योगों की समस्याओं का निराकरण करने का सुझाव देना.

2. बोर्ड का संचालक मण्डल :— छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड के सदस्य निम्नानुसार होंगे :—

बोर्ड का संचालक मण्डल :—

1.	शासन द्वारा नामित व्यक्ति	अध्यक्ष

2.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ग्रामोद्योग विभाग या नामांकित प्रतिनिधि जो उप सचिव या उससे उच्च स्तर का हो.	सदस्य
3.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग या नामांकित प्रतिनिधि (जो उप सचिव या उससे उच्च स्तर का हो)	सदस्य
4.	सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग या नामांकित प्रतिनिधि (जो उप सचिव या उससे उच्च स्तर का हो)	सदस्य
5.	प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	सदस्य
6.	निदेशक, राज्य कार्यालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग	सदस्य
7.	अशासकीय सदस्य-अधिकतम पांच	शासन द्वारा नामांकित
8.	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड	सदस्य सचिव

टीप :— बोर्ड के संचालक मण्डल में कुम्हारी (पोटरी) एवं समाज सेवा से जुड़े हुये कुम्भकारों/व्यक्तियों को अशासकीय सदस्य के रूप में मनोनीत किया जा सकेगा.

3. **बोर्ड के प्रबंध संचालक :—** बोर्ड के प्रबंध संचालक, ग्रामोद्योग विभाग के सचिव अथवा शासन द्वारा नामांकित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होंगे. प्रबंध संचालक बोर्ड का सदस्य सचिव भी होगा.

4. **पदाधिकारियों का कार्यकाल :—** शासन द्वारा नामांकित अध्यक्ष एवं अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल शासन द्वारा निर्धारित अवधि अथवा शासन की मंशानुसार होगा.

6. **बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों को देय सुविधाएं :—** संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठित मंडल, आयोग, निगम, सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत्तसायी संस्थाओं के अध्यक्षों एवं सदस्यों को प्राप्त सुविधायें, वेतन भत्ते आदि इस बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों को देय होंगे. इस संबंध में समय-समय पर शासन द्वारा जारी आदेश/निर्देश लागू होंगे.

7. **बोर्ड के कार्य :—**

1. कुम्हारी कार्य उद्योगों से संबंधित अधोसंरचना जैसे बिजली, पानी पहुंच मार्ग की व्यवस्था के संबंध में निरीक्षण एवं सुझाव देना.
2. माटी कला के माध्यम से कुम्भकारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना अधिकाधिक रोजगार के लिये प्रशिक्षण आदि संचालित करना.
3. परम्परागत एवं प्रशिक्षित शिल्पियों के डिजाईन विकास, अधिकाधिक उत्पादन एवं उत्पादन में ग्लेजिंग आदि की व्यवस्था के लिये तकनीकी कार्यशालाएं, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही करना.
4. परम्परागत एवं प्रशिक्षक शिल्पियों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार का ज्ञान कराना प्रचार-प्रसार तथा प्रदर्शनियों का आयोजन करना.
5. कुम्भकारों के सर्वांगीण विकास के लिये नीतियां बनाना, शासन से विभिन्न योजनाएं स्वीकृत कराना, बजट प्राप्त करना तथा तदनुसार योजनाओं क्रियान्वयन करना.
6. भारत सरकार विशेषकर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार एवं खादी आयोग द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन करना.

7. माटी कार्य कुम्हारी (पोटरी) एवं शिल्प उद्योग के लिये नीति का निर्माण करने तथा विनियोजन, अनुदान, वेट टैक्स, विद्युत दरों आदि में इस उद्योग को सुविधा प्रदान करने पर सुझाव देना.

8. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र से, माटी कार्य करने वालों को सुविधाएं एवं सेवायें उपलब्ध कराने के संबंध में समन्वय की व्यवस्था करना.

9. माटी का कार्य करने वाले कारीगरों एवं उद्योगों की समस्याओं का निराकरण करने का सुझाव देना.

10. माटीकला उद्योगों से संबंधित अधोसंरचना की सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क आदि की व्यवस्था एवं औद्योगिक क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर शेड आवंटन के लिये सुझाव देना.

11. प्रदेश में मिट्टी की मूर्तियां, खिलौने, बर्तन, कवेलू, ईंट आदि उद्योगों के विकास के लिये वेट टैक्स, खनिज रायल्टी, वित्तीय सहायता, अनुदान की व्यवस्था ताकि इस उद्योग में कार्य करने वाले कामगारों को अपने निवेश पर पर्याप्त लाभ हो सके.

12. बैंक, वित्तीय संस्थाओं से नये उद्योग स्थापित करने के लिये नियमों का सरलीकरण एवं इस उद्योग में लगने वाले कच्चे माल की व्यवस्था रियायती दरों पर करना.

13. इस उद्योग के विकास हेतु कच्चे माल प्राप्ति के लिये नियमों का सरलीकरण एवं इस उद्योग में लगने वाले कच्चे माल की व्यवस्था रियायती दरों पर करना.

14. निर्यात को प्रोत्साहित करना. अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, प्रचार-प्रसार एवं अध्ययन दल भेजना.

15. शासकीय खरीदी में प्राथमिकता देने के संबंध में नीति बनाना.

16. नवीन तकनीकी का विकास एवं अध्ययन प्रवास पर कार्यवाही करना.

17. कुम्भकारों को लगने वाले औजार-उपकरण, कर्मशाला शेड, ब्याज प्रतिपूर्ति, अध्ययन प्रवास आदि के संबंध में योजना बनाकर बजट प्राप्त करना एवं कुम्भकारों, स्व-सहायता समूहों, स्वयंसेवी संस्थाओं, गठित समितियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा इनके माध्यम से योजना संचालित करना.

18. राज्य स्तरीय पुरस्कार का आयोजन करना एवं राष्ट्रीय पुरस्कार के लिये कार्यवाही करना.

19. उपरोक्त के अतिरिक्त कुम्हारी उद्योग के जुड़े हुये हितग्राहियों के लिये विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाना, जिसमें पेंशन योजना, चश्मा प्रदाय योजना, डिजाईन तकनीकी संस्थानों में बच्चों की शिक्षा आदि के लिए योजना बनाना शामिल है.

20. राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्देशित कार्यों का निर्वहन करना.

8. **बोर्ड के अधीन अमला :—** शासन द्वारा बोर्ड के गठन के बाद आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर वित्त विभाग के अनुमोदन पश्चात् अमला स्वीकृत कर पदस्थ किया जावेगा.

वर्तमान में वित्त विभाग द्वारा "छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड" के गठन हेतु वर्तमान में निम्नानुसार 19 पदों के सृजन की सहमति उनके यू.ओ. क्रमांक 111/बजट-5/वित्त/चार 2010 दिनांक 02-03-2012 द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है :—

मुख्यालयीन स्तर पर

क्र. (1)	सृजित पद का नाम (2)	पद संख्या (3)	वेतनमान+ग्रेड वेतन (4)
1.	महाप्रबंधक	01	15600-39100+7600

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	प्रबंधक	02	15600-39100+6600
3.	विकास अधिकारी	02	15600-39100+5400
4.	लेखाधिकारी	01	15600-39100+5400
5.	शीघ्र लेखक ग्रेड-3	02	5200-20200+2800
6.	लेखापाल	01	5200-20200+2800
7.	कम्प्यूटर आपरेटर	02	5200-20200+2400
8.	सहायक ग्रेड-3	03	5200-20200+1900
9.	वाहन चालक	02	5200-20200+1900
10.	भृत्य सह चौकीदार	03	4750-7440+1300
	कुल पदों की संख्या	**19**	

उपरोक्त पदों की पूर्ति सीधी भरती/प्रतिनियुक्ति से की जा सकेगी.

9. बोर्ड अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को शासन के कर्मचारियों के समान वेतन-भत्ते एवं सुविधाएं तथा अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सक्षम होगा.

10. बोर्ड प्राप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण अपने अधिकारियों के बीच कर सकेगा.

11. कर्मचारियों के हित में भविष्य निधि, ग्रेच्युटी एवं अन्य कल्याणकारी निधियां तथा योजनाएं लागू की जा सकेगी.

12. **बजट, वित्त, लेखा एवं आडिट :—**

1. राज्य शासन द्वारा बोर्ड को विभिन्न योजनाओं के संचालन तथा कर्मचारियों को अनुदान उपलब्ध करायेगा.
2. बोर्ड द्वारा किसी सामान्य या विशेष अधिकार के तहत बोर्ड के समस्त कार्यकलापों को सुचारू रूप से निर्वहन के लिये जहां भी ठीक समझे उन स्रोतों से धनराशि प्राप्त कर सकेगा.
3. बोर्ड द्वारा विकास निधि/कोष बनाकर प्राप्त धन/बचत धनराशि जमा कर सकेगा.
4. बोर्ड अपने अधिकारी/कर्मचारियों एवं हितग्राहियों के कल्याणार्थ कल्याण कोष की स्थापना कर सकेगा.
5. बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्धारित प्रारूप एवं समयावधि में आगामी वित्तीय वर्ष के लिये अपना बजट संभावित प्राप्ति एवं व्ययों का आंकलन दर्शाते हुए तैयार करेगा तथा स्वीकृति के लिये राज्य शासन की ओर अग्रेषित करेगा.
6. बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्धारित समयावधि एवं निर्धारित स्वरूप के अनुसार अपना वार्षिक प्रतिवेदन विगत वर्ष के गतिविधियों का पूर्ण विवरण देते हुये तैयार करेगा तथा उसकी एक प्रति राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा.
7. बोर्ड की प्रकृति विकासात्मक होगी तथा हितग्राहियों के विकास एवं आर्थिक उन्नति के लिये होगी.
8. बोर्ड प्रतिवर्ष उपयुक्त ढंग से अपने लेखों का संधारण करेगा.
9. बोर्ड प्रतिवर्ष वार्षिक लेखा प्रपत्र तैयार करेगा तथा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण करवायेगा.
10. प्रारंभिक अवस्था में बोर्ड के सफल संचालन हेतु वांछित धनराशि आकस्मिकता निधि से उपलब्ध कराई जावेगी.

13. विविध :—

1. राज्य शासन सार्वजनिक हित को दृष्टिगत रखते हुये बोर्ड को अधिक्रमित कर सकेगा.

2. बोर्ड के सभी सदस्य बोर्ड के अधिक्रमित होने की स्थिति में अपने पद को छोड़ देंगे.

3. बोर्ड के पुनर्गठन होने तक बोर्ड की सभी व नियंत्रित सम्पत्तियां राज्य शासन के अधीन रहेगी.

4. राज्य शासन को बोर्ड/संचालक मंडल को भंग करने, उसमें नियुक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों को बदलने आदि का अधिकार होगा.

5. बोर्ड कुम्भकारों के विकास, कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये कल्याणकारी योजनाएं तथा अन्य क्रियाकलापों के लिये नियम बनाने तथा नियम प्रक्रिया लागू करने हेतु सक्षम होगा.

6. बोर्ड को किराये पर भवन लेने और कार्यालय उपस्करों में व्यय करने का अधिकार होगा.

7. बोर्ड का मुख्यालय रायपुर में होगा.

8. बोर्ड इस संकल्प के पारित होने/छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से संकल्प अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देगा.

9. बोर्ड का पंजीयन उपरोक्तानुसार प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत अथवा जैसा संचालक मंडल चाहे अन्य अधिनियमों के अंतर्गत किया जा सकेगा.

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पि. रमेश कुमार, प्रमुख सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ 1-8/2011/मबावि/50.—केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक फा. सं. 1-32/2002/पुनर्गठन/रा.बो.प्र./छत्ती./619, दिनांक 05-09-2011 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती चन्नी वर्मा, रायपुर को आदेश जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिए अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण बोर्ड, रायपुर नियुक्त करता है.

No./F-1-8/2011/WCD/50.—The State Government hereby with the consent of Central Social Welfare Board, New Delhi vide their letter No. 1-32/2002/reconstitution/SBA/C.G./619, dated 05-09-2011 appoints Mrs. Channi Verma as Chairperson of the State Social Welfare Advisory Board Chhattisgarh for three years with effect from the date of issuance of this order.

रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ 1-8/2011/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्द्वारा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली की सहमति से राज्य समाज कल्याण बोर्ड, छत्तीसगढ़, रायपुर के अध्यक्ष पद पर श्रीमती चन्नी वर्मा, रायपुर की नियुक्ति विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-10-2011 जारी होने के दिनांक से 3 (तीन) वर्ष तक के लिए की गई है. राज्य समाज कल्याण बोर्ड के नियम तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में